आदेश

आदेश सं0 ए.एन.डी.यू.ए.टी–07/प्र0सहा0/समिति गठन/2026/512 दिनांक 19.06.2026 द्वारा गेस्ट हाउस के प्रशासनिक, वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय कार्यो के कुशल संचालन, उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग तथा अतिथियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने एवं कार्यों में अधिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित किए जाने हेतु **"गेस्ट हाउस प्रबंधन समिति"** का गठन किया गया है। गेस्ट हाउस की किराया दरों में वृद्धि हेतु उक्त समिति की बैठक दिनांक 29.06.2026 में की गयी संस्तुति के आधार पर किसान भवन, वी0आई0पी0 अतिथि गृह एवं अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह की किराया दर विश्वविद्यालय हित में तत्काल प्रभाव से निम्नवत् निर्धारित/संशोधित की जाती है–

क्0सं0	विवरण	अतिथियों हेतु समिति द्वारा संस्तुति की गयी किराये की नई दरे प्रतिदिन/प्रति कक्ष	
		विश्वविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारी/छात्र तथा सरकारी कार्य से आये हुए अतिथियों हेतु	बाह्य अतिथियों हेतु
1.	सिंगल बेड किसान भवन (अवातानुकूलित कक्ष)	रू0 75.00 (पचहत्तर रूपये)/किसान	रू0 200.00 (दो सौ रूपये)/ किसान समूह (संस्था द्वारा)
2.	साधारण डबल बेड (अवातानुकूलित कक्ष)	रू0 300.00 (तीन सौ रूपये)	रू0 600.00 (छः सौ रूपये)
3.	अतिथि गृह में डवल बेड (वातानुकूलित कक्ष)	रू0 500.00 (पांच सौ रूपये)	रू0 800.00 (आठ सौ रूपये)
4.	अतिथि गृह वी0आई0पी0 ट्रिपल बेड	रू0 1000.00 (एक हजार रूपये)	रू0 1500.00 (एक हजार पांच सौ रूपये)
5.	अतिथि गृह में डाईनिंग हॉल एवं रसोई कक्ष	रू0 3000.00 (तीन हजार रूपये)	रू0 4000.00 (चार हजार रूपये)
6.	अतिथि गृह स्वागत कक्ष	रू0 3500.00 (तीन हजार पांच रूपये)	रू0 5000.00 (पांच हजार रूपये)
7.	अतिथि गृह हाईटेक हॉल वातानुकूलित	रू0 10000.00 (दस हजार रूपये)	रू0 12000.00 (बारह हजार रूपये)
8.	अतिथि गृह हाईटेक हॉल (प्रथम तल) वातानुकूलित	रू0 8000.00 (आठ हजार रूपये)	रू0 10000.00 (दस हजार रूपये)

उक्त किराया दरों में वृद्धि निम्नवत् शर्तों के अधीन होगी, जो आदेश निर्गमन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

1. किसी कार्यक्रम के लिए आवंटित किसान भवन/अतिथि गृह में सिर्फ दीक्षान्त समारोह के लिए आरक्षित कक्ष आवंटित नहीं किए जायेंगे।
2. किसी कार्यक्रम के लिए आवंटित किसान भवन/अतिथि गृह/स्वागत कक्ष/हाईटेक हॉल में कार्योपरान्त सफाई की जिम्मेदारी किरायेदार की होगी। सफाई न कराने पर 1000 रू0 (एक हजार रू0) सफाई के लिए अतिरिक्त देय होगा।
3. बाहरी व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम हेतु आवंटन का अधिकार मा0 कुलपति महोदय मे निहित है, उनके अनुमोदन के पश्चात् ही विश्वविद्यालय के बाहर के व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम हेतु आवंटन किया जायेगा।

उक्त के परिपेक्ष्य में पूर्व प्रसारित आदेश उपरोक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा। यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(सुशान्त श्रीवास्तव)
निदेशक,

Scanned with OKEN Scanner

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या।

पत्रांक–ए.एन.डी.यू.ए.टी–07/प्र0सहा0/किराया दर/2026/851 दिनांकः 20 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक।
2. सह अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय आजमगढ़।
3. कार्यकारी अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, गोण्डा।
4. कुलसचिव।
5. पुस्ताकालयाध्यक्ष।
6. वित्त नियंत्रक।
7. समस्त विभागाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित अधिष्ठाता।
8. कोआर्डिनेटर, गेस्ट हाउस प्रबन्धन समिति, स्वागत अनुभाग।
9. प्रभारी अधिकारी, परिसर चिकित्सालय/सुरक्षा/सम्पत्ति/वाहन/स्वागत अनुभाग।
10. समस्त प्रभारी, शोध/प्रसार केन्द्र (के0वी0के0/के0जी0के0)।
11. कुलपति के सचिव।
12. गार्ड फाइल/नोटिस बोर्ड।

10.07.2026

(भूपेन्द्र सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner